संख्या–364 /XVIII-B-1/20-15(10)/2020

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 19 मई, 2020

विषयः– कोविड–19 के कारण राज्य में विभिन्न उद्योगो के संचालन, महत्वपूर्ण निर्माण कार्यो हेतु श्रमिकों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के कारण लॉक डाउन अवधि में राज्य में विभिन्न उद्योगो के संचालन, विभिन्न निर्माण कार्यो यथा चार–धाम यात्रा, कर्णप्रयाग रेलवे–लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भारतीय सीमा सड़क संगठन इत्यादि के द्वारा किये जा रहे कार्यो का पुनःसंचालन हेतु विभिन्न राज्यों के श्रमिकों को राज्य में लाये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा श्रम विभाग एवं नोडल अधिकारी से समन्वय करते हुए सम्बन्धित संस्थानों की आवश्यकता के अनुसार उनके अनुरोध के आधार पर कोविड–19 के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए उक्त श्रमिकों को राज्य में लाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

2– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 1 (1)/XVIII-B-1/20-15(10)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. स्टाफ ऑफिस, मुख्यसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

6. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव